



नगर पालिका परिषद् हापुड़
की कर निर्धारण सूची भवन या भूमि के स्वामी के रूप में नाम अंकित कराने के लिए

आवेदन पत्र

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, हापुड़

महोदय,
निवेदन है कि प्रार्थी के नाम भवन संख्या स्थित मौहल्ला
वार्ड संख्या पर चढ़ाने का कष्ट करें। भवन का नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में आवश्यक
सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं :—

- अ— नाम व पूर्ण पता प्रार्थी
- ब— कक्ष संख्या व मौहल्ले का नाम जिसमें भवन स्थित —
है तथा भवन संख्या एवं उप भवन संख्या यदि
कोई हो।
- स— नाम पिता का नाम जाति व पूर्ण पता अधिकार
देने वाले का या मृतक का अथवा जिसकी जगह
नाम परिवर्तन किया जाना है।
- द— नाम व पूर्ण पता अधिकार प्राप्त कर्ता या जिसके
नाम में कथित भवन अंकित होना है।
- य— तिथि अधिकार देने की मृत्यु या हस्तान्तरण
द्वारा अधिकार पाने की जैसी भी स्थिति हो।
- र— अधिकार पाने के सम्बन्ध में साक्षम पंजीकृत बेनामा —
वसियत, मृत्यु प्रमाण पत्र, शापथ पत्र, आपसी
बटवारा, न्यायालय जैसी भी स्थिति हो का उल्लेख
करते हुए संलग्न करें।
- व— कक्ष के सदस्य अथवा अन्य दो सम्भान्त आयकर
दाताओं के प्रमाण पत्र कि उपरोक्त कथन सत्य है
और वह ही भवन का वास्तविक स्वामी है नाम
परिवर्तन कर दिया जाए।

आवेदन कर्ता का नाम
पूरा पता